

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 169/11-सी-FP/UP/Rail/41878/2019, लखनऊ, दिनांक: जुलाई 20, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहर-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी० 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी० 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 1337 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात् कुल 49.92276 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/07/118/2021/एफ०सी०/173, दिनांक 09.06.2023 एवं वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी का पत्रांक-110/29-1, दिनांक 13.07.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी के उपरोक्त पत्रांक-110/29-1, दिनांक 13.07.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 169/11-सी-FP/UP/Rail/41878/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
2. प्रभागीय निदेशक, गाजीपुर/जौनपुर।
3. अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी०एस०वी०, उत्तर रेलवे, वाराणसी।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(वन भवन, एच0आई0जी0-33, अशोक बिहार कालोनी फेज-1 पहडिया वाराणसी-221007)

E-Mail-cfvaranasi2@yahoo.com, cfva-up@nic.in दूरभाष-0542-2585444

पत्रांक-

110

/29-1

दिनांक, वाराणसी,

जुलाई, 13

2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /

नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 09 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद-जौनपुर में (किमी0 संख्या-10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 49.92276 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू0पी0/07/118/2021/एफ0सी0/173, दिनांक-09.06.2023 व आपका पृष्ठांकन पत्रांक-3915/11-सी, दिनांक-12.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक-09.06.2023 द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्ति का निस्तारण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक-154/14-16, दिनांक-11.07.2023 द्वारा सूचना/आख्या इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। प्रभाग द्वारा प्रेषित बिन्दुवार आख्या/सूचना को संस्तुति सहित आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

S.No	Conditions	Status of compliance
a)	DFOs need to submit the certificate from Railway in accordance with the guideline of MoEFCC dated 10.03.2022 where in it is clarified that- For excution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railways right of way under Section 11 of Railway Act 1989 notwithstanding the directions of Honble' Supreme Court given in the judgment in TN Godavaraman Thirumalpad v/s Union of India.(w.p of 202 1995 .the need for obtaining the approval of the Central Government under Section 2 of the Forest Coservation Act. 1980 will not arise.	प्रभागीय निदेशक,सामाजिक वानिकी वन प्रभाग जौनपुर ने अवगत कराया है कि विषयगत रेलवे लाइन, रेलवे के स्वामित्व की भूमि है । प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वामित्व सम्बन्धित लैण्ड प्लान तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न है ।
b)	These directions are applicable only for excution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway,s right of way under Section 11 of Railway Act. 1989 Rest of the cases will be deult with relevent provisions under the Forest Coservation Act. 1980.	प्रस्तावक विभाग के अनुसार परियोजना का कार्य रेलवे भूमि के अन्दर ही " Railway right of way " के अन्तर्गत किया जायेगा ,जिसके सन्दर्भ में रेलवे विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है ।

संलग्नक:-

उपरोक्तानुसार ।

(03 प्रतियाँ मूल में)

भवदीय,

(अखिलेश पाण्डेय)

वन संरक्षक,

वाराणसी वृत्त, वाराणसी

(2)

संख्या- 110 / (I) समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग गाजीपुर तथा जौनपुर।

2-अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी0एस0बी0, उत्तर रेलवे, वाराणसी।

MC

(अखिलेश पाण्डेय)
वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी

R
J
5/5/2018
N.E. P. Vanamasi
17/7/23
9794845284
Mob -

कार्यालय : प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

पत्रांक : 154 / 14-16 जौनपुर : दिनांक : जुलाई, 11, 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
वाराणसी वृत्त, वाराणसी।

विषय:- पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा औड़िहार-जौनपुर रेलवे सेक्शन के अंतर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में जनपद गाजीपुर (किमी 0 1.900 से 10.900 तक) में प्रभावित 6.50572 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 9 वृक्षों/पौधों के पातन तथा जनपद जौनपुर में (किमी 0 10.900 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1337 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात् कुल 49.92276 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक कुल 1346 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार का पत्रांक-11/1092 आर०ई०सी०/2014/यू०पी०/140 दिनांक 27.05.2023 एवं पत्रांक-स०-8बी/यू०पी०/07/ 118/2021/एफ०सी०/173 दिनांक 09.06.2023।

आपका पत्रांक- 76/29-1 दिनांक 07.07.2023।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बैठक दिनांक 30.05.2023 को अवगत कराया गया था कि रेलवे स्वामित्व की भूमि जिसे राज्य सरकार द्वारा संरक्षित वन घोषित किया गया है, तथा रेलवे के राइट आफ वे के अन्तर्गत पड़ती है, पर रेलवे एक्ट 1989 की धारा-11 के अनुसार रेल विभाग की परियोजनाओं के निष्पादन एवं अनुरक्षण किये जाने हेतु वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 की धारा-2 के प्राविधान आकर्षित नहीं होंगे। इन परियोजनाओं हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत वन विभाग से अनुमति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रस्तावक विभाग तथा गाजीपुर वन प्रभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये मानचित्र व प्रमाण पत्र प्रतिहस्ताक्षरित कर (5 प्रतियों में) संलग्नकर संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

s.n	Objection	Replies
a)	"For execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way under section 11 of Railways Act 1989, notwithstanding the directions of Hon'ble Supreme Court given in the judgment in TN Godavarman Thirumalpad vs Union bank of India, (W.P.C) 202,1995, the need for obtaining the approval of the Central government under section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 will not arise.	विषयगत रेलवे लाइन, रेलवे के स्वामित्व की भूमि है। प्रस्तावक विभाग द्वारा स्वामित्व सम्बन्धित लैण्ड प्लान तथा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो मूल में संलग्न है।
b)	These directions are applicable ONLY for execution or maintaining of Railway works on Railway owned land within Railway's right of way under Section 11 of Railway Act 1989 Rest of the cases will be dealt with relevant provisions under Forest (Conservation) Act, 1980."	प्रस्तावक विभाग के अनुसार परियोजना का कार्य रेलवे भूमि के अन्दर ही "Railway Right of way" के अन्तर्गत किया जायेगा, जिसके सन्दर्भ में रेलवे विभाग द्वारा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो संलग्न है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

कार्यालय वन संरक्षक
वाराणसी वृत्त, वाराणसी
क्रमांक: 154/14-16
पत्रावली सं: 12/11/2023
दिनांक: 12/11/2023

भवदीय

(प्रवीन खरे)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

संख्या- समदिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ, महोदय को उक्त के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

(प्रवीन खरे)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, जौनपुर।

भू - स्वामित्व सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औडिहार - जौनपुर (पूर्वोत्तर-रेलवे) सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरी करण में जनपद गाजीपुर (किमी 1.90 से 10.90 तक) में प्रभावित 6.50572 हे० संरक्षित वन भूमि तथा जनपद जौनपुर में (किमी 10.90 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 49.92276 हे० संरक्षित वन भूमि का स्वामित्व पूर्ण रूप से पूर्वोत्तर रेलवे के पास है। इस भूमि में कोई अन्य विभाग सम्मिलित नहीं है और न ही यह भूमि लीज पर ली गयी है।

संलग्न :- प्राचिन मानचित्र तीन कापी संलग्न है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर


प्रवीण कुमार मिश्रा
अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी०एस०वी०
(प्रवीण कुमार मिश्रा)
अवर अभियन्ता/निर्माण/वाराणसी
पूर्वोत्तर-रेलवे

निर्माण / रखरखाव सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि औडिहार - जौनपुर (पूर्वोत्तर-रेलवे) सेक्शन के अन्तर्गत रेलवे ट्रैक के दोहरी करण में जनपद गाजीपुर (किमी 1.90 से 10.90 तक) में प्रभावित 6.50572 हे० संरक्षित वन भूमि तथा जनपद जौनपुर में (किमी 10.90 से 57.400 तक) प्रभावित 43.41704 हे० संरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 49.92276 हे० संरक्षित वन भूमि में प्रजेक्ट का निर्माण (औडिंहार - जौनपुर दोहरीकरण) पूर्वोत्तर रेलवे के स्वामित्व वाली भूमि पर मौजूदा ट्रैक के समानान्तर किया जाना है।


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
जौनपुर


प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
गाजीपुर


प्रवीण कुमार मिश्रा
अवर अभियन्ता/कार्य/निर्माण/बी०एस०वी०
(प्रवीण कुमार मिश्रा)
अवर अभियन्ता/निर्माण/वाराणसी
पूर्वोत्तर-रेलवे

B. & N. Y. R.
GANGES GODA BIDAS RAILWAYS
AUNRIHAR JAUNPUR BRANCH

DISTRICT JAUNPUR
 PRIGANAH HAVELL
 SCALE 400 FEET TO ONE INCH

BSE/ARJ-3MV/SHEET 36



From Jaunpur to Rampur

Jaunpur
 Rampur
 Priganah
 Havell

DETAIL OF LAND REQUIRED

NAME OF ROAD	ACRES		
	APPROX.	ACTUAL	TOTAL
Jaunpur	1.250	1.250	1.250
Rampur	2.100	2.100	2.100
Priganah	2.100	2.100	2.100
Havell	2.100	2.100	2.100
TOTAL	7.550	7.550	7.550

Handwritten signature and notes in the top left corner.

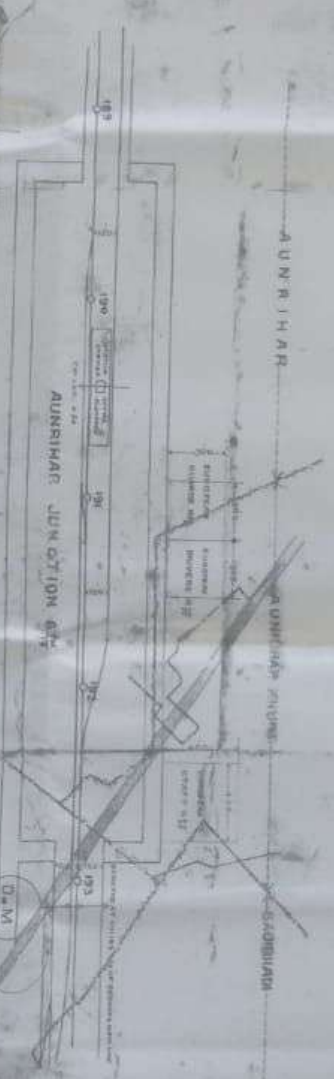
Handwritten signature and notes in the middle left.

Vertical text on the far left edge, possibly a page number or reference.

B & N W R

GANGES GODA ROAD RAILWAY
AUNSIHAR JAUNPUR BRANCH

DISTRICT GHAZIPOUR
PERGANA SAYADPUR
SCALE 4 INCHES TO ONE MILE



DETAIL OF LAND REQUIRED

SECTION	NAME OF LAND	ACRES	SQ. YDS.
EUROPEAN RESERVE	AUNSIHAR	4.132	177,000
DO	AUNSIHAR	2.552	110,000
DO	AUNSIHAR	1.000	43,560
GRAND TOTAL		7.684	330,560



Handwritten notes and signatures:
 - Top left: "The Aunsihar Junction is situated on the Ganges Goda Road Railway line between Aunsihar and Jaunpur."
 - Middle left: "The land required for the proposed branch line is shown in the accompanying plan."
 - Bottom left: "The land required for the proposed branch line is shown in the accompanying plan."
 - Right side: "The land required for the proposed branch line is shown in the accompanying plan."
 - Bottom right: "The land required for the proposed branch line is shown in the accompanying plan."